उत्तर प्रदेश शासन
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग
संख्या-15/2020/702/63-व0उ0-2020-41(एच)2019
लखनऊ: दिनांकः 19 अगस्त, 2020

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश को गारमेंन्टिग हब बनाये जाने के सम्बन्ध में इन्टीग्रेटेड टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्को के स्थापना के लिये निविदा आमंत्रित करने के सम्बन्ध में EOI का विज्ञापन हिन्दी एवं अंग्रेजी में राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हो जाने के उपरान्त वस्त्र उद्यमियों से प्राप्त ई-दस्तावेज और ई-बिड की स्क्रीनिंग एवं अनुमोदन हेतु राज्य स्तरीय (02 स्तरीय) समिति का गठन निम्नानुसार प्रस्तावित किया जाता हैं:-

(1)- ई-दस्तावेज और ई-बिड की स्क्रीनिंग हेतु स्क्रीनिंग समितिः-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यू0पी0 सीडा, कानपुर।
2. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
3. आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0, कानपुर।

(2)- ई-दस्तावेज और ई-बिड की स्क्रीनिंग के उपरान्त अनुमोदन हेतु शासकीय स्वीकृति समितिः-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यू0पी0 सीडा, कानपुर।

2. स्क्रीनिंग समिति इच्छुक निवेशकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण कर प्राप्त गम्भीर निवेशकों के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासकीय समिति को अग्रसारित करेगी। शासकीय स्वीकृति समिति द्वारा अग्रसारित प्रस्तावों पर विचार कर आर0एफ0पी0 निर्गत किये जाने हेतु अर्ह प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान करेगी। आवश्यकतानुसार उपरोक्त समितिया निवेशकों को भी समिति की बैठक में आमंत्रित कर सकेगी।

रमा रमण
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-15/2020/702(1)/63-व0उ0-2020तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
8. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यू0पी0 सीडा, कानपुर।
9. आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0, कानपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0 के0 पाण्डेय)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in